**आदेश 39, नियम 1 एवं 2 सपठित धारा 151 सि. प्र. सं. के अधीन अंतरिम स्थगन के लिए आवेदन पत्र**

............... उच्च न्यायालय

आई. ए...............................

इन

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

विनम्र वादी निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक प्रदर्शित करता है

1. यह कि वादी ने कब्जा तथा स्थायी व्यादेश हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध ऊपर नोट किये गये वाद दाखिल किया है।
2. यह कि साथ दिये जा रहे आवेदन वादपत्र की अन्तर्वस्तुएं कृपया इस आवेदन पत्र के भाग के रूप में पढ़ी जाय और उसको संक्षिप्त होने के लिए यहां पुनः पेश की जाय।
3. यह कि वादी का एक प्रथम दृष्ट्या अच्छा मामला है और मामले में सफल होने वाले वादी का प्रत्येक अवसर है।
4. यह कि सुविधा का संतुलन प्रबल रूप से वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध है। वादी की अपूर्णनीय हानि एवम् क्षति होगी यदि उस अन्तरिम अनुतोष नहीं मंजूर किया जाता जिसके लिए प्रार्थना की जाती है।

**प्रार्थना**

अतएव यह अति सादरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह आदरणीय न्यायालय या तो परिसर सं....................में या तो कर्तव्य, ग्रहण करने के लिए प्रतिवादियों, उनके उत्तरवर्ती अभिकर्ताओं, प्रतिनिधियों, एटार्नियों, समनुदेशितियों, अन्तरितियों, कर्मचारियों और / या उनके निमित्त या उनके जरिए कार्य करने वाले किसी भी एक व्यक्ति को, और / या कथित सम्पत्ति के संपूर्ण या किसी भाग के विक्रय का अंतरण करने के लिए या किसी विल्लंगम का सृजन करने के लिए प्रतिफल के साथ या उसके बगैर वार्ता या चर्चा कोई संव्यवहार करने के लिए और/या किसी वर्णित साधन से किसी विधिपूर्ण सामर्थ्य के स्वामियों की हैसियत और/या उसके धारकों की हैसियत से स्वयं को अभिनिर्धारित के लिए और न कि वादी सं. 2 या कथित वादी सं. 2 के अधीन या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित परिसर का प्रयोग या उपभोग या स्वामित्व को किसी भी रीति से अवरुद्ध करने या उसमें हस्तक्षेप करने या बाधा पहुँचाने के लिए अवरुद्ध करने वाला एक पक्षीय अंतरिम व्यादेश मंजूर करने की कृपा करें।

ऐसा आदेश या अग्रिम अन्तरिम एक पक्षीय आदेश जो उपयुक्त एवम् उचित समझा जाय भी पारित किया जा सकेगा।

**वादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान..............**

**तारीख............**